भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **160**
मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों को भूगर्भीय जीवाश्मों की बिक्री

160. **श्री हुसैन दलवईः**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि लाहौल और स्पीति घाटी में स्थानीय लोगों और पर्यटन संचालकों द्वारा पर्यटकों को सस्ती स्मारिका के रूप में भूगर्भीय जीवाश्म बेचे जा रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास पर्यटन के जरिए ऐसे दोहन को प्रतिबंधित करने और जीवाश्मों को परिरक्षित करने की कोई नीति है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने स्थानीय लोगों और पर्यटन संचालकों को ऐसे जीवाश्मों को अपने पास रखने और बेचने से रोकने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय की भूगर्भीय विरासत स्थलों का संरक्षण करने और पर्यटकों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए भविष्य में कार्रवाई करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) से (घ) : जी, हाँ। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्पीति घाटी, लाहौल एवं स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश से जीवाश्मों के ह्रास के बारे में एक प्रेस रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 'हिमालयाज़ लूजिंग रेयर फॉसिल्स टु सॉविनियर हंटर्स' नाम से एक नोट हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीवाश्मों की बिक्री को रोकने के लिए सुझाव शामिल थे। इसके अतिरिक्त जीएसआई ने देश भर में फैले अनोखी भू-विज्ञान विशेषताओं से युक्त भू-वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 32 प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थानों को भू-विरासत स्थल/राष्ट्रीय भू-संरक्षण स्मारक घोषित किया है और राज्य सरकारों द्वारा उनके रख-रखाव का सुझाव दिया है।

उत्तरदायी पर्यटन के विकास, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों जिसमें भू-विरासत स्थल शामिल हैं के संरक्षण के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के हितधारकों के अनुमोदित वर्ग के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के प्रति वचनबद्धता को अनिवार्य बना दिया है। इसमें सर्वोत्तम पर्यावरण एवं विरासत संरक्षण मानकों के साथ सतत् पर्यटन कार्य पद्धतियों का कार्यान्वयन शामिल है।

****